

राज्य सभा सचिवालय
स्थापना(लेखा) एवं बजट अनुभाग

सं.आरएस २(ii)/२०१६/परिपत्र आयकर/स्था.(लेखा)

दिनांक ४ जनवरी २०१७

परिपत्र सं 19

विषय : आयकर के लिए बचत का प्रमाण जमा - वित्तीय वर्ष
२०१६-१७.

...

सचिवालय के सभी कर्मचारी जिन्होंने अपनी बचतों की प्रतियाँ जैसे एल आईसी/पी एलआई/पी पी एफ/किराया रसीदों/गृह निर्माण अग्रिमों पर अंतिम ब्याज प्रमाण पत्रों/चिकित्सीय दावा पालिसी आदि की रसीदें अभी तक जमा नहीं की हैं, उनसे अनुरोध है कि वे १३ जनवरी २०१७ तक इस अनुभाग में अवश्य जमा करा दें ऐसा न किए जाने पर वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए अंतिम कर देयताओं के परिकलन हेतु उक्त दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

२. उपर्युक्त दस्तावेजों को शामिल किए जाने के लिए बाद में किए गए किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही अनुभाग स्तर पर 'कर विवरण' में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा । हालांकि, इस प्रकार के मामलों में कर्मचारी अपनी आयकर विवरणी जमा करके यथासमय आयकर कार्यालय से आयकर की वापसी, यदि कोई हो, का दावा करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

(के. एन. ईरेन्द्र कुमार)
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

समस्त अनुभाग/समस्त कर्मचारी/निजी सचिव,
माननीय सभापति का कार्यालय, उपसभापति का
कार्यालय और विपक्ष के नेता का कार्यालय
वेतन एवं लेखा अनुभाग, राज्य सभा